

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय समग्रों की विगत प्रवृत्तियों और इसकी संगठनात्मक रूपरेखा के मानदंडों के द्वारा राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे, जिस पर यह प्रतिवेदन आधारित है, की संरचना और खाके को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (एस सी एस) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भारत सरकार (भा स) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसका 90 प्रतिशत अंश अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान के एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है। राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुयी तथा वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स रा घ उ) में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक विकास दर (सी ए जी आर) 19.42 प्रतिशत रही।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता दर और नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता और निम्न मृत्यु दर है। राज्य में बी पी एल जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी (**परिशिष्ट 1**)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) की तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों पर प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित है:

प्रचलित दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12 (त्व. आ.)*	2012-13 (अ. आ.)*	2013-14
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	70,730	83,969	97,858	1,07,868	1,22,433
स रा घ उ की विकास दर (प्रतिशतता)	26.25	18.72	16.54	10.23	13.50

स्रोत : आकड़े मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रदान किये गये

* त्व. आ. - त्वरित आगणन और अ.आ. - अग्रिम आगणन

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान स घ उ की तुलना में स रा घ उ की विकास दर भिन्न रही। स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2009-10, 2011-12 और 2013-14 में स घ उ की वृद्धि दर से अधिक थी। वर्ष 2010-11 में यह लगभग समरूप थी परन्तु 2012-13 में यह निचले स्तर पर रही। वर्ष 2011-12 (16.54 प्रतिशत)

¹ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान स रा घ उ की वृद्धि दर में तेजी से गिरावट (10.23 प्रतिशत) हुई। तथापि पुनः वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष के सापेक्ष 13.50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 (ते वि आ की सिफारिश पर मार्च 2011 में संशोधित) और राज्य की मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) द्वारा, राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) का सारांश **परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)** में दिया गया है।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार

तालिका 1.1, गत वर्ष (2012-13) के सापेक्ष चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेन का सार प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट 1.4** गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1 : चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
					आयोजनेतर	आयोजनागत	कुल
भाग-अ: राजस्व							
कर राजस्व	6,414.24	7,355.34	सामान्य सेवाएँ	5,372.23	6,178.37	3.67	6,182.04
करेतर राजस्व	1,602.88	1,316.54	सामाजिक सेवाएँ	6,095.84	5,074.62	2,223.39	7,298.01
संघीय करों/शुल्कों का अंश	3,272.88	3,573.38	आर्थिक सेवाएँ	1,995.29	1,528.04	539.91	2,067.95
भारत सरकार से अनुदान	4,457.22	5,075.27	सहायता अनुदान और अंशदान	496.86	668.41	--	668.41
राजस्व प्राप्तियाँ	15,747.22	17,320.53	राजस्व व्यय	13,960.22	13,449.44	2,766.97	16,216.41
भाग-ब: पूँजीगत और अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	180.40	पूँजीगत परिव्यय	3,542.09	573.76	3,138.27	3,712.03
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	428.44	55.23	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	272.57	1.76	276.23	277.99
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	2,967.43	3,873.17	लोक ऋणों की चुकोतियाँ*	1,472.21	--	--	1,316.81
--	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	--	400.00
आकस्मिकता निधि	32.22	412.00	आकस्मिकता निधि	32.07	--	--	194.48
लोक लेखा प्राप्तियाँ #	21,925.45	25,954.59	लोक लेखा संवितरण	20,961.24	--	--	25,190.33
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,085.18	1,945.54	अंतिम रोकड़ शेष	1,945.54	--	--	2,433.41
योग	42,185.94	49,741.46	योग	42,185.94	--	--	49,741.46

* इसमें अर्थापय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के अन्तिम आंकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गये हैं

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार है:

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 1,573.31 करोड़ (9.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 941.10 करोड़), संघ के करों / शुल्कों में राज्य के अंश

(₹ 300.50 करोड़) और भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (₹ 618.05 करोड़), में बढ़ोतरी, आंशिक रूप से करेतर राजस्व (₹ 286.34 करोड़) में कमी के द्वारा समायोजित हो गयी।

- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 2,256.19 करोड़ (16.16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 1.6.1 में वर्णित है।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में गत वर्ष से ₹ 169.94 करोड़ (4.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 1.6.1 में वर्णित है।
- ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 428.44 करोड़ (2012-13) से घटकर ₹ 55.23 करोड़ (87.10 प्रतिशत) हो गयी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण में वृद्धि (₹ 905.49 करोड़) के कारण केन्द्र सरकार से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 905.74 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। तथापि केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों की प्राप्तियाँ लगभग समान थी।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 में ₹ 964 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 764 करोड़ हो गयीं।
- वर्ष 2012-13 के अन्तिम अवशेष की तुलना में चालू वर्ष के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 487.87 करोड़ बढ़ गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर जो कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों और राज्य के एफ आर बी एम अधिनियम में लक्षित थे तालिका 1.2 में दिए गये हैं।

तालिका 1.2


राजकोषीय चर	2013-14						
	एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के विरुद्ध प्रतिशत भिन्नता		
					एफ आर बी एम अधिनियम का लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	मार्च 2015 तक शून्य तक नीचे लाना	(+) 901.52	(+)1,548.39	(+)1,104.12	प्राप्त किया	(+)22.47	(-) 28.69
राजकोषीय घाटा/ स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.00	2.90	2.95	2.16	(+)28.00	(+)25.52	(+) 26.78
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	38.50	23.36	22.22	23.50	38.96	(-) 0.60	(-) 5.76

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार, वर्ष 2009-10 को छोड़कर राजस्व आधिक्य बनाये

रखने में वर्षवार सफल रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा भी तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहा।

1.1.3 बजट आकलन एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या आकलनों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट आकलनों (ब आ)से भिन्नता विविध कारणों से जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में हैं, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन ने मिश्रित रूझान प्रदर्शित किए:



- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति ₹ 1,657 करोड़ (24.60 प्रतिशत) के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,635 करोड़ से कम थी। करेतर राजस्व चालू वर्ष के ब आ के सापेक्ष ₹ 101 करोड़ (8.30 प्रतिशत) अधिक था। राज्य का कर राजस्व भी ब आ के मुकाबले ₹ 79 करोड़ (0.72 प्रतिशत) कम था।
- राजस्व व्यय, वर्ष के ब आ से ₹ 1,838 करोड़ (10.18 प्रतिशत) कम था।
- मुख्यतः ऊर्जा के अन्तर्गत कम संवितरण के कारण पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत व्यय ₹ 1,162 करोड़ (23.84 प्रतिशत) तक अप्रयुक्त रहा।
- राजस्व, राजकोषीय तथा प्रारम्भिक घाटों के लिये वर्ष 2013-14 के बजटीय पूर्वानुमान, एफ आर बी एम, अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 के उत्तराखण्ड अधिनियम सं. 72 द्वारा संशोधित) तथा ते वि आ की संस्तुतियों के अनुसार थे (चार्ट 1.1)। वर्ष 2013-14 हेतु वास्तविक, प्रक्षेपों के अन्तर्गत थे।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

1.1.4.1 प्रस्तावना

जेण्डर बजट (जे ब) के लिए बजट आवंटन श्रेणी I और श्रेणी II में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी I के अन्तर्गत प्राविधान शत-प्रतिशत महिलाओं के कल्याण हेतु होता है। श्रेणी II में कुल बजट प्राविधानों में से 30

प्रतिशत प्राविधान अनन्य रूप से महिलाओं के विकास हेतु प्रावधानित होता है। आगे, अनेको जेण्डर उत्तरदायी बजटिंग (जे उ ब) पहल को प्रारम्भ करने के लिए जेण्डर बजट कोष (जे ब को) का गठन किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कोई समर्पित जेण्डर बजटिंग प्रकोष्ठ नहीं गठित किया गया।

राज्य बजट में जे ब हेतु प्राविधान वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ किए गए। जेण्डर बजट प्रलेख में वर्षवार प्राविधान तालिका 1.3 में वर्णित है।

तालिका 1.3: वर्ष 2009-14 के दौरान जेण्डर बजटीय आबंटन (₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी I में आबंटन	170.94	255.19	215.63	316.41	522.23
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी II में आबंटन	1,160.74	1,274.24	1,614.37	1,921.49	2,739.06
जेण्डर बजट के अन्तर्गत कुल आबंटन (श्रेणी I + श्रेणी II)	1,331.68	1,529.43	1,830.00	2,237.90	3,261.29
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी I में व्यय	158.05	177.31	201.30	347.58	अनुपलब्ध*
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी II में व्यय	1,219.98	1,324.59	1,104.59	1,805.53	अनुपलब्ध*
जेण्डर बजट के अन्तर्गत कुल व्यय (श्रेणी I + श्रेणी II)	1,378.03	1,501.90	1,305.89	2,153.11	अनुपलब्ध*
आच्छादित विभागों की संख्या	24	26	26	29	30

* राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

स्रोत: बजट प्रलेखों और विनियोग लेख

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान दोनों श्रेणियों में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए बजट प्राविधानों में वर्ष 2009-10 में ₹ 1,331.68 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 3,261.29 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि दर्शायी, विशेषरूप से वर्ष 2012-13 से 2013-14 के मध्य 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। इसी प्रकार वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 में ₹ 1,378.03 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 2,153.11 करोड़ विशेषरूप से वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान 65 प्रतिशत की वृद्धि।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राज्य ने जे ब का प्राविधान समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए मुख्य रूप से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया है तथापि वन तथा पर्यटन विभाग की नमूना जांच में श्रेणी I तथा II के अन्तर्गत योजनाओं के विस्तृत विश्लेषण ने निम्न प्रदर्शित किया:-

(i) वन:

वन विभाग के संदर्भ में वर्ष 2013-14 के जे ब दस्तावेजों में सात योजनाएँ सम्मिलित थी, श्रेणी I में एक तथा श्रेणी II में छः, जिसका विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: वनविभाग में श्रेणी I तथा II के अन्तर्गत योजनाएँ (₹ लाख में)

योजना	कुल आबंटन	जे ब के अन्तर्गत आबंटन	आबंटन का परिमाण (प्रतिशत में)	कुल व्यय	जे ब के अन्तर्गत व्यय *	आबंटन का परिमाण (प्रतिशत में)
श्रेणी "I"						
महिला भाग के अन्तर्गत नर्सरी विकास	60.00	60.00	100	30.00	30.00	100
श्रेणी I का योग	60.00	60.00	100	30.00	30.00	100
श्रेणी "II"						
औषधीय/हर्बल प्रजातियों का संरक्षण एवं विकास	30.00	12.00	40	29.96	9.00	30

वन अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास	63.51	25.40	40	58.17	17.45	30
वन्य जीवों द्वारा मानवीय जीवन और सम्पत्ति के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि	100.01	40.00	40	100.00	30.00	30
माफियाओं से संघर्ष में घायल/मृत वन विभाग के कर्मचारियों को पारितोषिक	20.00	6.00	30	00	00	00
गुर्जरो का पुनर्वास	35.00	14.00	40	35.00	10.50	30
मानव - वन्य जीव संघर्ष का शमन	840.02	336.01	40	839.43	252.00	30
श्रेणी II का योग	1,088.54	433.41	40	1,062.56	318.95	30
कुल योग	1,148.54	493.41	43	1,092.56	348.95	32

* विभागानुसार, जे ब के अन्तर्गत व्यय केवल पूर्णअवधारणा पर आधारित है।

वन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जे ब का प्राविधान विभाग द्वारा नहीं किया गया परन्तु सरकारी स्तर पर ही लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। जे ब के अन्तर्गत व्यय भी पूर्वधारणा आधार पर महिलाओं की योजना में भागीदारी 30 प्रतिशत मानते हुए अभिलेखित किया गया। किसी भी योजना के लाभान्वितों का लिंगानुसार विग्रहित आँकड़े विभागों के पास उपलब्ध नहीं थे। जे ब से संबन्धित कोई भी निर्देश विभाग एवं उसकी कार्यदायी संस्था को नहीं दिए गए। इससे अतिरिक्त, जे ब के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना में कोई प्राविधान नहीं था।

(ii) पर्यटन:

पर्यटन विभाग में जे ब के वर्ष 2013-14 के अभिलेखों में पाँच योजनाएँ सम्मिलित हैं। श्रेणी I में एक तथा श्रेणी II में चार विवरण तालिका 1.5 में दी गयी हैं।

तालिका 1.5: पर्यटन विभाग में श्रेणी I व II के अन्तर्गत योजनाएँ

(₹ लाख में)


योजना	कुल आवंटन	जे ब के अन्तर्गत आवंटन	आवंटन का परिमाण	कुल व्यय	जे ब के अन्तर्गत व्यय*	आवंटन का परिमाण
श्रेणी "I"						
आई एच एम गढ़ी कैन्ट में कन्या छात्रावास का निर्माण	14.42	14.42	100	14.42	14.42	100
श्रेणी I का योग	14.42	14.42	100	14.42	14.42	100
श्रेणी "II"						
ऋण सहायता एवं स्वरोजगार	1300.00	520.00	40	1,100.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
सरकारी होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना	270.06	81.02	30	250.46	-तदैव-	-तदैव-
चार धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत ढांचा का निर्माण/विकास	100.00	40.00	40	115.22	-तदैव-	-तदैव-
सहासिक यात्रा को प्रोत्साहन	120.00	48.00	40	120.00	-तदैव-	-तदैव-
श्रेणी II का योग	1,790.06	689.02	38.50	1,585.68	-तदैव-	-तदैव-
कुल योग	1,804.48	703.44	39	1,600.10	-तदैव-	-तदैव-

* विभाग के पास जे ब व्यय के पृथक आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जे ब का प्राविधान विभाग द्वारा नहीं किया गया एवं वाबजूद इसके शासन स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। विभाग लाभान्वित सूची तथा वर्ष 2013-14 में जे ब पर व्यय की सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। वर्ष 2012-13 में जे ब पर व्यय विवरण के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अनभिज्ञता दर्शायी।

पुनश्च यह संज्ञान में आया कि श्रेणी II की एक योजना “सरकारी होटल मैनेजमेंट तथा कैंटरिंग संस्थान की स्थापना” सम्पूर्ण व्यय कार्यालय व्यय तथा वेतन शीर्ष पर किये गए।


1.2 राज्य के संसाधन




* निवल लोक लेखा प्राप्ति (₹ 764 करोड़) = लोक लेखा प्राप्ति (₹ 25,954 करोड़) – लोक लेखा संवितरण (₹ 25,190 करोड़)

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखों (परिशिष्ट 1.1) में दर्ज है जबकि चार्ट 1.2, वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटकों को वर्णित करता है।



* निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण



वर्ष 2009-10 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) ₹ 13,137 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 22,193 करोड़ (68.94 प्रतिशत) हो गयी। वर्ष 2013-14 की ₹ 22,193 करोड़ की प्राप्तियों में से तीन प्रतिशत प्राप्तियाँ (₹ 764 करोड़) लोक लेखे से थी जबकि कुल प्राप्तियों का क्रमशः 78 प्रतिशत (₹ 17,321 करोड़) व 19 प्रतिशत (₹ 4,108 करोड़) भाग राजस्व प्राप्तियों व उधारियों आदि से आया।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 9.99 प्रतिशत बढ़ गईं। तथापि चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्ति दो प्रतिशत घट गई। विविध पूँजीगत प्राप्तियों के कारण, कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्ति के अंश में लगभग एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि दिखाई दी। (तालिका 1.1 का संदर्भ लें)।

लोक लेखा प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

- लोक लेखा प्राप्तियों में, प्रेषण (₹ 1,699.65 करोड़), उच्चत तथा विविध (₹ 1,259.53 करोड़), जमा और अग्रिम (₹ 727.37 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 188.59 करोड़) और लघु बचत और भविष्य निधि (₹ 153.99 करोड़) में वृद्धि होने के कारण ₹ 4,029.13 करोड़ की वृद्धि हुई।

- वर्ष के दौरान उच्चतम एवं विविध प्राप्ति में ₹ 1,260 करोड़ (8.39 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो कि मुख्यतः चेकों एवं देयकों के उच्चतम शीर्ष के अन्तर्गत हुई वृद्धि (₹ 1,851 करोड़) के कारण थी। यह उच्चतम शीर्ष चेक जारी करते समय क्रेडिट किया जाता है और बैंक द्वारा चेकों के भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर खारिज किया जाता है।

1.2.2 राज्य के बजट से इतर राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मानी गयी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों² को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की जाती हैं। ये निधियाँ, राज्य बजट/राज्य कोषागार तन्त्र के माध्यम से नहीं आती हैं। अतः राज्य की प्राप्ति एवं व्यय तथा इसके साथ-साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय आँकड़े/मापदण्ड अधो-आकलित रहे। समुच्चय संसाधनों की उपलब्धता पर एक निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए, राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर अन्तरित निधियाँ परिशिष्ट 1.5 में दर्शायी गयी हैं। मुख्य कार्यक्रमों/योजनाओं को अन्तरित उल्लेखनीय धनराशि तालिका 1.6 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.6 : राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/ अभिकरण का प्रकार	अवमुक्त राशि
1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारण्टी संस्था, राज्य सरकार संस्थान	330.01 (17.34)
2	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	220.43 (11.58)
3	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति (टी वी सी) (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	191.12 (10.05)
4	भारतीय तकनीकी संस्थान को सहायता (आई आई टी ए)	आई आई टी रूड़की, उत्तराखण्ड, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	150.00 (7.88)
5	वन तथा वन्य जीव संस्थान को सहायता अनुदान	वन अनुसंधान संस्थान, आई सी एफ आर ई एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	138.46 (7.28)
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्लू एस एम उत्तराखण्ड (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	87.61 (4.61)
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	75.72 (3.98)
8	ग्रामीण आवास आई ए वाई	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	64.05 (3.37)
9	स्वायत्त संस्थान तथा व्यवसायिक निकाय	आर्यभट्ट पर्यवेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	58.89 (3.10)
10	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, ऋषिकेश, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	51.75 (2.72)
योग			1,368.04


स्रोत: महानियंत्रक लेखा वेबसाइट की केन्द्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण प्रणाली

² परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका 1.6 सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अधीन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भा स के विविध मंत्रालयों से उत्तराखण्ड में विभिन्न अभिकरणों द्वारा सीधे प्राप्त उल्लेखनीय धनराशियों को दर्शाती है। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 के दौरान भा स द्वारा सीधे राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 1,903 करोड़ (*परिशिष्ट 1.5*) के अन्तरण से, राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 47,383 करोड़ से बढ़कर ₹ 49,286 करोड़ हो गयी। यह भी स्पष्ट है कि भा स द्वारा सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को स्थानान्तरित निधियों के अनुश्रवण हेतु कोई एकल अभिकरण नहीं है। इस प्रकार तत्काल रूप से कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे ज्ञात हो कि किसी विशेष वर्ष में मुख्य चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जिन्हें राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, पर वास्तविक रूप से व्यय की गयी निधि कितनी है।

1.3 राजस्व प्राप्ति

वित्त लेखे का **विवरण-11**, सरकार की राजस्व प्राप्ति का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्ति में स्वयं राज्य के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि की राजस्व प्राप्ति के संघटक और प्रवृत्तियों को *परिशिष्ट 1.3* में प्रस्तुत किया गया है तथा **चार्ट 1.4** में भी चित्रित किया गया है।



राजस्व प्राप्ति ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई। यह 15.04 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2009-10 में ₹ 9,486 करोड़ से वर्ष 2013-14 में बढ़कर ₹ 17,321 करोड़ हो गयी।

जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 50.07 प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व से आया, केन्द्रीय कर अन्तरण एवं सहायता अनुदान के समुच्चयों ने शेष 49.93 प्रतिशत का योगदान किया।

औसतन, 2009-14 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्ति का लगभग 47.66 प्रतिशत योगदान स्वयं राज्य की कर प्राप्ति का रहा। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता प्रदर्शित हुई, क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

स रा घा उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियों को निम्न **तालिका 1.7** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.7: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	9,486	11,608	13,691	15,747	17,321
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.86	22.37	17.94	15.02	10.00
रा प्रा / स रा घ उ (प्रतिशत)	13.41	13.82	13.99	14.60	14.15
उत्प्लावकता अनुपात³					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.38	1.19	1.08	1.47	0.74
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	0.64	1.27	1.66	1.39	1.09

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2010-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई। वृद्धि दर वर्ष 2010-11 में 22.37 प्रतिशत बढ़ गई और इसके पश्चात वृद्धि दर घटने लगी और वर्ष 2013-14 में 10 प्रतिशत पर आ गई। वर्ष 2013-14 की वृद्धि दर विगत वर्ष की अपेक्षा 5.02 प्रतिशत घट गई। स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के निजी करों की उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2009-10 के दौरान एक से भी नीचे था और वर्ष 2010-11 से 2013-14 के मध्य, 1.66 से 1.09 के मध्य रहते हुए एक विचलित प्रवृत्ति दर्शायी गई। वर्ष 2013-14 के दौरान यह एक से ऊपर था परन्तु पिछले वर्षों के सापेक्ष कम उत्प्लावकता दर्शायी जो स रा घ उ में वृद्धि की तुलना में कम राजस्व संग्रह को सूचित करता है।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होती हैं, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेतर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। राज्य के अपने संसाधनों के संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	ते वि आ अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशत का अन्तर		
					ते वि आ अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	6,146	7,111	7,289	7,356	19.69	3.45	0.92
करेतर राजस्व	1,100	1,216	1,262	1,317	19.73	8.31	4.36

जैसा कि तालिका 1.8 में प्रदर्शित है, ते वि आ, एम टी एफ पी के अनुमानों के सापेक्ष राज्य के स्वयं के संसाधनों ने दर्शाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान कर राजस्व, क्रमशः ₹ 1,210 करोड़, ₹ 245 करोड़ एवं ₹ 67 करोड़ अधिक रहा।

करेतर राजस्व भी क्रमशः ते वि आ के अनुमान, ब आ और एम टी एफ पी एस के सापेक्ष ₹ 217 करोड़, ₹ 101 करोड़ और ₹ 55 करोड़ अधिक था।

³ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रह तालिका 1.9 में दी गई है।

तालिका 1.9: राज्य के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,247 (18)	2,940 (31)	3,644 (24)	4,289 (18)	4,903 (14)
राज्य आबकारी	705 (34)	756 (7)	844 (12)	1,118 (32)	1,269 (14)
वाहनों पर कर	184 (10)	227 (23)	335 (48)	304 (-9)	369 (21)
स्टांप प्रभार और पंजीकरण शुल्क	399 (12)	440 (10)	524 (19)	648 (24)	687 (6)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	24 (-68)	42 (75)	269 (540)	55 (-80)	128 (133)
योग	3,559 (17)	4,405 (24)	5,616 (27)	6,414 (14)	7,356 (15)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशतता को दर्शाते हैं

राज्य का निजी कर राजस्व, 14.69 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 6,414 करोड़ से 2013-14 में ₹ 7,356 करोड़ हो गया, हालांकि, वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। बिक्री, व्यापार आदि पर कर न केवल कर राजस्व के एक बड़े हिस्से के रूप में शामिल (66.65 प्रतिशत) रहा बल्कि उसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष 14 प्रतिशत वृद्धि भी दर्ज की गई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व का दूसरा मुख्य अंशदाता राज्य आबकारी था।

1.3.1.2 करेतर राजस्व

करेतर राजस्व की वृद्धि दर तालिका 1.10 में दी गई है।

तालिका 1.10: करेतर राजस्व के प्राप्ति के रुझान

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज प्राप्ति	54	54	51	115	51
लाभांश एवं लाभ	0.07	0.21	0.05	0.19	0.30
अन्य करेतर राजस्व	577.93	623.79	1,048.95	1,487.81	1,265.70
योग	632	678	1,136	1,603	1,317
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	(-) 9.59	7.28	67.55	41.11	(-) 17.84

करेतर राजस्व, वर्ष 2009-10 में 10 प्रतिशत घटा। हालांकि, वर्ष 2010-11 में करेतर राजस्व पुनः 7.28 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में यह प्रभावी तौर पर पिछले वर्ष की तुलना में 67.55 प्रतिशत तथा 41.11 प्रतिशत बढ़ गया परन्तु चालू वर्ष में भी इसने पिछले वर्ष की तुलना में 17.84 प्रतिशत की कमी दर्ज की, जो मुख्यतः पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभों के अंशदान एवं वसूलियों (₹ 502.87 करोड़ - 67.17 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्ति (₹ 63.64 करोड़ - 55.45 प्रतिशत) के कमी के कारण थी। यह आंशिक रूप से अलौह खदान तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 140.14 करोड़ - 127.58 प्रतिशत) तथा वानिकी तथा वन्य जीव (₹ 124.50 करोड़ - 52.27 प्रतिशत) के द्वारा प्रति सन्तुलित कर ली गयी।

वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड राज्य ने ₹ 250 करोड़, पूर्ववर्ती समेकित राज्य उत्तर प्रदेश की पेंशन देयताओं के उत्तरार्द्ध राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के मध्य प्रभाजन के रूप में प्राप्त किये।

वर्ष 2013-14 के दौरान करेतर राजस्व के अन्य प्रमुख अंशदाताओं में वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 363 करोड़), ऊर्जा (₹ 121 करोड़), ब्याज प्राप्ति (₹ 51 करोड़) और अलौह एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 250 करोड़) थे।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.11 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजनेतर अनुदान	1,183	1,435	762	869	981
राज्य योजना के लिए अनुदान	2,334	2,253	2,840	3,040	3,558
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	11	21	10	8	13
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	217	356	462	540	523
योग	3,745	4,065	4,074	4,457	5,075
विगत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	11	9	00	9	14
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	39	35	30	28	29

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान भा स से सहायता अनुदान ने वृद्धि दर्शायी। यह वर्ष 2009-10 में ₹ 3,745 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,075 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि ₹ 618 करोड़ (13.87 प्रतिशत) मुख्य रूप में राज्य की आयोजनागत योजनाओं (₹ 518 करोड़), विभिन्न आयोजनेतर अनुदानों (₹ 112 करोड़) और केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदानों (₹ पांच करोड़) में वृद्धि के कारण थी। तथापि, केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 17 करोड़ घट गया।

1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप में प्राप्तियाँ, 2012-13 में ₹ 3,273 करोड़ से ₹ 300 करोड़ (9.17 प्रतिशत) बढ़कर 2013-14 में ₹ 3,573 करोड़ हो गयी थीं। केन्द्रीय कर अन्तरण में समग्र वृद्धि (₹ 300 करोड़) मुख्यतः सेवा कर (₹ 104 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 88 करोड़), सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद कर (₹ 81 करोड़) और निगम कर (₹ 26 करोड़) तथा सम्पत्ति कर (₹ एक करोड़) में हुई वृद्धि के कारण थी।

1.3.4 प्रथम चार अधिनिर्णित वर्षों (2010-14) हेतु तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोग।

1.3.4.1 प्रस्तावना

ते वि आ का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत 2010-15 की अवधि के लिए संस्तुतियाँ देने के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत, अधिनिर्णितन वर्ष (2010-11 से 2014-15) के दौरान ₹ 3,063 करोड़ के अन्तरण की संस्तुति की थी। इसमें से ₹ 2,292.76 करोड़ राज्य को प्रथम चार वर्षों (2010-14) के लिए संस्तुत थे।

1.3.4.2 भारत सरकार की संस्तुति के सापेक्ष कम अवमुक्त

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार ने पारितोषिक निधि ₹ 2,292.76 करोड़ में से ₹ 1,526.53 करोड़ प्राप्त किये जिसका परिणाम स्वरूप ₹ 766.23 करोड़ (33 प्रतिशत) की कम अवमुक्ति हुयी। कम अवमुक्ति का क्षेत्रवार विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति अन्तरण और अवमुक्ति का विवरण (2010-14)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड का नाम	ते.वि.आ. की संस्तुति	भा.स. द्वारा अवमुक्त राशि	कम अवमुक्ति	31/03/2014 तक प्रेषित उ.प्र.प.
1.	स्थानीय निकाय				
	(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	415.18	292.78	122.40	124.02
	(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	281.80	292.78	-10.98	124.02
	(ब) सामान्य दक्षता अनुदान	133.38	00	133.38	00
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	133.62	65.20	68.42	53.40
	(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	90.70	65.20	25.50	53.40
	(ब) सामान्य दक्षता अनुदान	42.92	00	42.92	00
	योग (1)	548.80	357.98	190.82	177.42
2.	आपदा राहत				
	(i) आपदा राहत निधि	456.42	478.83	-22.41	105.89
	(ii) क्षमता निर्माण	16.00	16.00	00	12.00
	योग (2)	472.42	494.83	-22.41	117.89
3.	परिणामी अनुदानों का सुधार				
	(i) न्याय प्रदान में सुधार	81.76	38.22	43.54	20.41
	(ii) यू आई डी के निर्गमन हेतु प्रोत्साहन	28.80	3.60	25.20	00
	(iii) जिला इनोवेशन निधि	13.00	6.50	6.50	5.69
	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली सुधार	10.40	5.20	5.20	2.60
	(v) कर्मचारी एवं पेंशन डाटाबेस	5.00	2.50	2.50	5.18
	योग (3)	138.96	56.02	82.94	33.88
4.	पर्यावरण सम्बन्धी अनुदान				
	(i) वन संरक्षण	154.08	128.40	25.68	127.35
	(ii) जल क्षेत्र प्रबन्ध	57.00	19.00	38	00
	योग (4)	211.08	147.40	63.68	127.35
5.	प्राथमिक शिक्षा	151.00	151.00	00	106.00
6.	सड़कें एवं पुल	235.00	149.00	86	149.00
7.	राज्य हेतु विशिष्ट अनुदान	535.50	170.30	365.20	58.96
	कुल योग (1-7)	2,292.76	1,526.53	766.23	770.50

स्रोत: राज्य सरकार का वित्त विभाग

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य प्रथम चार वर्षों के लिए संस्तुत अनुदान की पूर्ण राशि प्राप्त करने में असमर्थ रहा। मुख्य कम अनुदान, राज्य विशेष अनुदान (68 प्रतिशत), परिणामी अनुदानों में सुधार (60 प्रतिशत) सड़क एवं पुल (37 प्रतिशत) स्थानीय निकाय अनुदान (35 प्रतिशत) और पर्यावरण सम्बन्धी अनुदान (30 प्रतिशत) में परिलक्षित हुए। राज्य सरकार द्वारा सूचित अनुदानों की कम अवमुक्ति का कारण मुख्यतया कार्ययोजना/डी.पी.आर./उ.प्र.प. का अप्रस्तुतिकरण / विलम्बप्रस्तुतिकरण, भारत सरकार द्वारा लागू की गयी शर्तों का पालन न करना और प्रक्षेपित आयोजनेतर राजस्व व्यय आदि से कम व्यय थे।

1.4 पूँजीगत प्राप्ति

पूँजीगत प्राप्ति या तो ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्ति जैसे सरकारी कंपनियों / कार्पोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्ति और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्ति हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती है। लोक ऋण प्राप्ति विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/ अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियों, में विभाजित है। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्ति एवं ऋणों/ अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्ति मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ हैं जैसा कि तालिका 1.13 में वर्णित है।

तालिका 1.13: प्राप्ति की संरचना एवं वृद्धि का रूझान (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्ति का स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत प्राप्ति (पूँ प्रा)	1,748	2,512	2,427	3,396	4,108
विविध पूँजीगत प्राप्ति	--	--	--	--	180
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	65	85	91	428	55
लोक ऋण प्राप्ति	1,683	2,427	2,336	2,968	3,873
ऋण पूँजीगत प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9	44	(-)/4	27	30
ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्ति की वृद्धि दर	20	31	7	370	(-)/45
स रा घ उ की वृद्धि दर	26.25	18.72	16.54	10.23	13.50
पूँ प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9	44	(-)/3	40	21

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों की वृद्धि दर ने 2009-10 से 2012-13 के दौरान बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखायी। तथापि, वर्ष 2013-14 में उर्जा क्षेत्र के द्वारा पिछले वर्ष (₹ 422 करोड़) की तुलना में कम पुनर्दायगी (₹ 47 करोड़) के कारण ऋण एवं अग्रिमों की पुनर्दायगी पिछले वर्ष से ₹ 373 करोड़ घट गयी।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

2009-10 से 2013-14 की अवधि में ऋण प्राप्ति जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि सरकार की प्राप्ति की लगातार स्रोत बनी रहे। राजस्व आधिक्य के साथ-साथ पर्याप्त रोकड़ शेष के बावजूद भी सरकार ने आंतरिक उधारियों द्वारा निधि का संचय किया।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। इसलिए भारत सरकार से ऋण के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण का केवल 2.08 प्रतिशत है।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

प्राप्ति एवं वितरण के कतिपय लेनदेनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तो, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266 (2)

द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। तालिका 1.14, लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.14: वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)


राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ	
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
अ. लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,159.18	1,313.17	888.06	990.73	271.12	322.44
ब. आरक्षित निधियाँ	279.72	468.31	183.09	472.24	96.63	(-) 3.93
स. जमा एवं अग्रिम	2,359.47	3,086.84	2,140.68	2,735.10	218.79	351.74
द. उच्चत एवं विविध	15,010.04	16,269.57	14,531.10	16,492.77	478.94	(-) 223.20
य. प्रेषण	3,117.04	4,816.69	3,218.31	4,499.49	(-) 101.27	317.20
योग	21,925.45	25,954.58	20,961.24	25,190.33	964.21	764.25

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्द होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढाँचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.5 पाँच वर्षों (2009-10 से 2013-14) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में चार्ट 1.6 में चित्रित किया गया है।




कुल व्यय (टी ई): वर्ष 2009-14 के दौरान 13.95 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर पर बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय में ₹ 2,431 करोड़ (13.68 प्रतिशत) की बढ़ोतरी राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 2,256 करोड़ व ₹ 170 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। ऋण व अग्रिमों का संवितरण भी ₹ पांच करोड़ बढ़ा।

राजस्व व्यय (आर ई): चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि (₹ 2,256 करोड़) (i) सामान्य सेवाओं (₹ 810 करोड़), (ii) सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 171 करोड़) एवं (iii) सामाजिक सेवाओं (₹ 1,202 करोड़) (iv) आर्थिक सेवाओं (₹ 73 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत व्यय (सी ई): वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 170 करोड़ (4.80 प्रतिशत) की बढ़ोतरी (i) सामाजिक सेवाओं (₹ 126 करोड़), (ii) आर्थिक सेवाओं (₹ 35 करोड़) तथा (iii) सामान्य सेवाओं (₹ नौ करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में इसने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विचलन-शील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2009-10 में 13.35 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 में 18.37 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य वृद्धि क्रम दर्शाते हुए वर्तमान वर्ष ₹ 3,712 करोड़ पर रहा। तथापि, वास्तविक व्यय, राज्य सरकार द्वारा उनके बजट (₹ 4,874 करोड़) तथा एम टी एफ पी एस (₹ 5,266 करोड़) में परिकल्पित लक्ष्य के नीचे था।

व्यय के इन घटकों का सापेक्ष अंश जो विगत (2009-2012) में लगभग अपरिवर्तित रहा, ने वर्तमान वर्ष में पूँजीगत व्यय के अंश के सन्दर्भ में पूँजीगत व्यय के बढ़े हुए भाग के कारण बढ़ोतरी दर्शायी। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान लगभग अपरिवर्तित रहा। सामाजिक सेवाओं का व्यय वर्ष 2012-13 के 38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 40 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं ने वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत की सूक्ष्म कमी दर्ज की।



वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य का आयोजनेतर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) ₹ 5,091 करोड़ (60.91 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,358 करोड़ से ₹ 13,449 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई में वृद्धि (₹ 1,916 करोड़) मुख्यतः वेतन (₹ 707 करोड़) और पेंशन (₹ 765 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

राज्यों के राजस्व व्यय में आयोजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई) के अंश में 2009-11 के दौरान वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2011-12 के दौरान इसने ₹ 151 करोड़ (6.11 प्रतिशत) की कमी दर्शायी, वर्ष 2012-13 के दौरान इसमें पुनः पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 106 करोड़ (4.57 प्रतिशत) तथा चालू वर्ष में ₹ 340 करोड़ (14.01 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुयी जो मुख्यतः समाज कल्याण तथा पोषण (₹ 317 करोड़), ग्राम्यविकास (₹ 23 करोड़), परिवहन (₹ 14 करोड़), सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 15 करोड़) में वृद्धि के फलस्वरूप थी। यह अंशतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 23 करोड़), और जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 43 करोड़) में व्यय की कमी के फलस्वरूप प्रतिसंतुलित हुयी। पुनः वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए नीचे तालिका 1.15 वास्तविक एन पी आर ई का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती है:

तालिका 1.15: वर्ष 2013-14 के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)

आयोजनेतर व्यय (एन पी आर ई)	ते वि आ द्वारा निर्धारण	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		वास्तविक
		बजट	एम टी एफ पी एस	
	10,168	16,619	17,214	13,449

स्रोत: ते वि आ का प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई (₹ 13,449 करोड़) ते वि आ (₹ 10,168 करोड़) द्वारा निर्धारित मानकीय निर्धारण से ₹ 3,281 करोड़ (32.27 प्रतिशत) अधिक हो गया किन्तु यह क्रमशः राज्य सरकार के बजट (₹ 3,170 करोड़) और मध्यकालिक राजकोषीय नीति (₹ 3,765 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से कम था।

1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका 1.16 वर्ष 2009-14 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका 1.16: वचनबद्ध व्यय के घटक (₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
					ब आ	वास्तविक	भिन्नता का प्रतिशत
वेतन और पारिश्रमिक, जिसमें	4,388 (46)	4,721 (41)	5,244 (40)	5,724 (41)	7,404	6,431	(-) 13.14
आयोजनेतर शीर्ष	4,114	4,464	4,971	5,423		6,115	
योजनागत शीर्ष*	274	257	273	301		316	
ब्याज भुगतान	1,338 (14)	1,480 (13)	1,769 (14)	2,089 (15)	2,541	2,056	(-) 19.09
पेंशन पर व्यय	1,047 (11)	1,142 (10)	1,135 (9)	1,366 (10)	1,990	2,131	(+) 7.09
उपदान	42 (0.44)	44	220 (2)	163 (1)	--	24	(+) 100
कुल वचनबद्ध व्यय	6,815	7,387	8,368 (64)	9,342 (67)	11,935	10,642	(-) 10.83
अन्य घटक	1,543	1,762	2,286	2,191	4,684	2,807	(-) 40.07
कुल एन पी आर ई	8,358	9,149	10,654	11,533	16,619	13,449	(-) 19.07
कुल राजस्व व्यय	10,657	11,621	12,975	13,960	18,054	16,216	(-) 10.18
राजस्व प्राप्तियाँ	9,486	11,608	13,691	15,747	18,956	17,321	(-) 8.62

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं

*केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल हैं

2009-10 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्ति के 72 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान यह 11 प्रतिशत घट गया तथा यह राजस्व प्राप्ति का 61 प्रतिशत था। तथापि यह 2009-14 के दौरान ₹ 3,827 करोड़ बढ़ गया। राज्य सरकार को चाहिए कि वचनबद्ध व्यय को सन्निहित करने हेतु कदम उठाये क्योंकि विकासपरक कार्यक्रमों के लिए व्यय करने हेतु सरकार के लिए यह कम गुंजाइश छोड़ता है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान वेतन पर व्यय क्रमशः 7.59 प्रतिशत, 11.08 प्रतिशत, 9.15 प्रतिशत और 12.35 प्रतिशत बढ़ा। इन चार वर्षों में वेतन व्यय ते वि आ के अनुमानों से अधिक था। तथापि, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 7,404 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 7,156 करोड़) में काफी नीचे थे।

तेरहवें वित्त आयोग के मानकों में नियत है कि वेतन मद के अन्तर्गत व्यय, राजस्व व्यय के ब्याज भुगतानों व पेंशन का शुद्ध 35 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि चालू वर्ष में वेतन पर वास्तविक व्यय 53.46 प्रतिशत था।

पेंशन भुगतान

राज्य सरकार ने पेंशन दायित्वों का अनुमान ऐतिहासिक वृद्धि दर के आधार पर लगाया था न कि वास्तविकता के आधार पर। वर्ष 2013-14 में पेंशन पर व्यय ₹ 2,131 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्ति का 12.30 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान पेंशन भुगतान, विगत वर्ष 2012-13 की अपेक्षा 56 प्रतिशत बढ़ा। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान ते वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए मानवीय निर्धारण (₹ 1,462 करोड़) से अधिक (₹ 669 करोड़) था (ते वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)।

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 01 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका 1.16 में दर्शित है, वर्ष 2009-14 की अवधि में, ब्याज भुगतान में प्रारम्भिक तौर पर पिछले ऋणों के कारण 53.66 प्रतिशत कम हो गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज भुगतान में आन्तरिक ऋणों⁴ पर ब्याज (₹ 1,535 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 453 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 31 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋण एवं अग्रिम (₹ 37 करोड़) शामिल थे। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 2,056 करोड़) राजस्व प्राप्ति का 11.87 प्रतिशत था, जो कि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार के बजट द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 485 करोड़ कम था परन्तु ते वि आ द्वारा चालू वर्ष हेतु निर्धारित मानक (₹ 1,908 करोड़) से ₹ 148 करोड़ अधिक था। ब्याज भुगतान एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्य ₹ 2,246 करोड़ से ₹ 190 करोड़ कम था।

उपदान

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के सुविधाविहीन भाग को उपदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य नहीं है। उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त

⁴ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आते हैं।

वित्तीय लेखों (परिशिष्ट III) ने पिछले पांच सालों में सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 42.45 करोड़ (2009-10), ₹ 43.49 करोड़ (2010-11), ₹ 219.67 करोड़ (2011-12), ₹ 163.23 करोड़ (2012-13) तथा ₹ 23.63 करोड़ (2013-14), को प्रदर्शित किया।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान दिये गये उपदान में ₹ 139 करोड़ (85.28 प्रतिशत) की कमी पाई गई। कमी का मुख्य कारण खाद्य विभाग को पूर्व वर्ष (₹ 128.77 करोड़) के सापेक्ष शून्य उपदान की राशि देना था।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि तालिका 1.17 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता (₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					ब आ	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	267.99	488.49	403.45	501.83	603.23	431.05
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	122.47	154.72	175.76	306.28	382.24	321.19
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	202.25	252.96	203.04	190.59	345.42	347.21
विकास अभिकरण	571.47	526.00	409.35	480.80	652.71	562.37
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	44.52	71.23	86.98	134.78	112.51	108.99
ऊर्जा (ऊर्जा का गैर-परम्परागत स्रोत)	24.39	7.50	6.32	12.89	5.94	6.88
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	98.62	151.15	205.54	79.71	212.50	111.16
सहकारिता	13.22	9.56	7.30	9.75	17.07	11.83
पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	14.79	13.16	8.65	8.75	12.11	10.43
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	11.43	18.43	29.34	36.28	61.90	49.33
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	133.65	97.46	211.10	254.31	262.70	285.85
अन्य संस्थाएँ	371.24	131.61	31.12	115.75	187.99	80.27
योग	1,876.04	1,922.27	1,777.95	2,131.72	2,856.32	2,326.56
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	17.60	16.54	13.70	15.27	15.82	14.35

स्रोत: वी एल सी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता में ₹ 144 करोड़ (7.51 प्रतिशत) की कमी हुयी। जबकि, वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता में ₹ 354 करोड़ (19.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी। वर्ष 2013-14 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें पुनः ₹ 195 करोड़ (9.14 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी। चालू वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थाओं एवं विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 43 प्रतिशत थी।

वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः शहरी स्थानीय निकाय एवं पी.आर.आई. (₹ 172 करोड़) एवं विकास अभिकरणों (₹ 82 करोड़) में थी जो कि शैक्षिक संस्थाओं (₹ 71 करोड़) की सहायता में कमी से कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हुयी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्यें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.18 चालू वर्ष के दौरान विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) के सापेक्ष राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करती है।

तालिका 1.18: 2009-10 और 2013-14 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/स रा घ उ	वि व्य #/स व्य	सा क्षे व्य/स व्य	पूँ व्य/स व्य
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2009-10	17.44	66.52	41.26	13.35
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2013-14	16.50	65.41	40.28	18.37

स व्य : सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य : सामाजिक क्षेत्र में व्यय
 # विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।
 स्रोत: (1) स रा घ उ के लिए सूचना राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय से एकत्र की गयी थी। (परिशिष्ट 1.2 भाग अ)

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा श्रेणी विशेष के व्यय को दी गई प्राथमिकता को इंगित करती है। 2009-10 के सापेक्ष 2013-14 में व्यय पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन पर पाया गया कि:

- सरकार का सकल व्यय स रा घ उ के अनुपात के रूप में 2009-10 की तुलना में 2013-14 में 0.94 प्रतिशत निम्नतर था।
- सकल व्यय (स व्य) के अनुपात के रूप में विकासपरक व्यय (वि व्य) वर्ष 2009-10 की तुलना में 2013-14 में 1.11 प्रतिशत कम था।
- सकल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय लगभग 0.98 प्रतिशत कम था।
- पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का कुल व्यय में अनुपात 5.02 प्रतिशत बढ़ गया।

1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स⁵ के प्रावधान पर

⁵ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय⁶ हेतु आबंटन में सुधार के अतिरिक्त, आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ 5) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा स रा घ 5) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहाँ, एक ओर तालिका 1.19 चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं तालिका 1.20, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय के अंश ने वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत की औसत दर पर अन्तर्वर्षीय विविधता दर्शायी। चालू वर्ष 2013-14 के दौरान इसने विगत वर्ष की तुलना में 15.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विकासपरक पूँजीगत व्यय की अंश ने भी अन्तर्वर्षीय विविधता प्रदर्शित की लेकिन 2009-10 से 2012-13 तक बढोतरी का रूझान लगातार दर्शाया। तथापि वर्ष 2013-14 में एक प्रतिशत घट गया। यह वर्ष 2013-14 में 2012-13 के सापेक्ष ₹ 161 करोड़ (पाँच प्रतिशत) बढ़ गया। 2009-10 से 2013-14 तक विकासपरक व्यय में समग्र वृद्धि 61 प्रतिशत बढ़ गयी।

तालिका 1.19: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बी अ	वास्तविक
विकासपरक व्यय (अ से स)	8,205 (66)	8,842 (65)	10,607 (68)	11,776 (66)	8,553	13,216 (65)
अ. विकासपरक राजस्व व्यय	6,638 (54)	7,033 (52)	8,121 (52)	8,091 (45)	3,617	9,366 (46)
ब. विकासपरक पूँजीगत व्यय	1,538 (12)	1,750 (13)	2,240 (14)	3,413 (19)	4,720	3,574 (18)
स. विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	29 (0.23)	59 (0.44)	246 (2)	272 (2)	216	276 (1)

कोष्ठक के आँकड़े समय व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका 1.20: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2012-13			2013-14		
	कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	1.04	19.19	0.004	0.76	18.21	0.005
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.78	4.02	0.039	0.73	4.01	0.040
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	1.51	0.045	0.012	1.40	0.05	0.010
सा से पर कुल व्यय	4.02	24.42	0.066	4.16	23.40	0.082

⁶ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय							
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	3.05	3.58	0.230	2.96	3.48	0.184	
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.18	1.53	0.244	2.28	1.40	0.179	
विद्युत एवं ऊर्जा	2.90	--	--	1.27	0.0004	--	
परिवहन	5.45	0.099	0.541	5.21	0.099	0.167	
आ से पर कुल व्यय	15.18	6.56	1.015	18.37	6.42	0.541	
सा से + आ से पर कुल व्यय	19.20	30.98	1.081	22.53	29.82	0.623	

कु व्य: कुल व्यय, पू व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

यद्यपि, पूँजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण से सम्बन्धित कोई विशेष मापदण्ड एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने एम टी एफ पी एस में ते वि आ की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है जिनमें स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का तीन प्रतिशत होगा। इसके लिए राज्य सरकार उधार कम लेगी तथा निकट भविष्य में पूँजीकरण हेतु निधियाँ कम होंगी। तथापि चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने वर्ष 2012-13 की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

वर्ष 2013-14 के दौरान, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन तथा पारिश्रमिक, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं दोनों पर लगभग स्थिर बना रहा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय कम हुआ है।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2014 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका 1.21 में दी गयी है।

तालिका 1.21: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2014 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	96	449.57	491.30	41.73	265.61

* राज्य सरकार द्वारा 31.03.2014 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेखे

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2014 को, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (तालिका 1.22) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था अर्थात् पिछले 5 सालों के निवेश के एक प्रतिशत से भी कम, जबकि सरकार ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान ऋणों पर 7.78 प्रतिशत औसत दर पर ब्याज दिया।

तालिका 1.22: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	1,240	1,296	1,338	2,397*	2,677
प्रतिफल (लाभांश/व्यय) (₹ करोड़ में)	0.07	0.21	0.05	0.19	0.30
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.02	* ⁷	0.01	0.01
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.64	7.34	7.83	8.50	7.57
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.63	7.32	7.83	8.49	7.56

*पूर्व वर्ष के आंकड़ों में अन्तर का कारण महालेखाकार (ले. & हकदारी) कार्यालय द्वारा किये गये प्रोफार्मा सुधार हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं प्रतिफल पर कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

मुख्य निवेश (i) उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 969 करोड़) और (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 624 करोड़) में थे। उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹ 2,003 करोड़ की हानियाँ तथा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹ 243 करोड़ का लाभ वर्ष 2012-13 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संचित किया था।

1.8.3 लोक निजी सहभागिता परियोजना में निवेश

जनसाधारण की पर्याप्त एवं गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना की बढ़ती हुयी मांग को पूरा करने के लिए लोक निजी सहभागिता (लो नि स) की अवधारणा विकसित हुयी। राज्य सरकार के योजना विभाग में वर्ष 2008 में स्थापित लो नि स कोष, अवसंरचना क्षेत्र के विकास में लो नि स परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के समग्र प्रयासों को समन्वय करने के लिए नोडल अभिकरण है।

1.8.3.1 लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं की स्थिति

लो नि स कोष द्वारा प्रदान की गयी सूचना (जुलाई 2014) के अनुसार, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 2007-14 के दौरान ₹ 5,134.54 करोड़ की 123 परियोजनाएं शुरु की गयी। इनमें से 28 परियोजनाएं (₹ 895.65 करोड़) कार्यान्वयन में थी, जिनमें 31 मार्च 2014 (परिशिष्ट 1.6) तक आठ परियोजनाएं (₹ 87.87 करोड़) शामिल हैं। अड़तीस परियोजनाएँ निविदाधीन थी (₹ 1,812 करोड़) (परिशिष्ट 1.7) और 57 परियोजनाएँ मार्च 2014 के अन्त तक (परिशिष्ट 1.8) पाइपलाइन (₹ 2,426.89 करोड़) में थी। इसके अतिरिक्त, 19 परियोजनाएँ (₹ 1,166.32 करोड़) विभिन्न कारणों से स्थगित कर दी गयी जैसे कि नोडल विभाग परियोजना आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं थे (परिशिष्ट 1.9) क्षेत्रवार लो नि स परियोजनाओं के प्रगति पर निविदाधीन एवं पाइपलाइन में परियोजनाओं का विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है।

⁷ गणना योग्य नहीं

तालिका 1.23: क्षेत्रानुसार लो नि स परियोजनाओं का वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कुल परि	परि की कुल कीमत	कार्य पर लागत	कार्य पर लागत	निविदाधीन	निविदा के अन्तर्गत लागत	पाइप लाइन परि. की सं.	पाइप लाइन परि. की लागत	स्थगित	स्थगित परि. की लागत
ऊर्जा	15	802.49	2	117.50	9	570.57	4	114.42	1	13.04
पर्यटन	25	1,949.80	5	400.00	9	904.80	11	645.00	3	5.00
परिवहन	9	175.14	3	44.40	1	2.00	5	128.74	0	00
कृषि	9	68.26	0	00	2	67.26	7	1.00	3	00
सामाजिक	47	1,045.67	13	244.80	16	266.41	18	534.46	2	5.00
सूचना प्रौद्योगिकी	0	00	0	00	0	00	0	00	2	00
सड़क	4	214.00	1	26.00	0	00	3	188.00	1	700.00
शहरी	10	104.81	4	62.95	1	0.96	5	40.90	7	443.28
खेल	2	16.00	0	00	0	00	2	16.00	0	00
जल	2	758.37	0	00	0	00	2	758.37	0	00
योग	123	5,134.54	28	895.65	38	1,812.00	57	2,426.89	19	1,166.32

लो नि स कोष द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सामाजिक, परिवहन एवं पर्यटन के अन्तर्गत आठ परियोजनाएं शुरू की गयीं और मार्च 2014 तक पूरी कर ली गयीं। इस प्रकार ₹ 87.87 करोड़ की सम्पत्ति संरचित हुयी। इस पूर्ण परियोजनाओं में से सामाजिक क्षेत्र की एक पूर्ण परियोजना⁸ लागत ₹ पांच करोड़ को वर्ष 2013-14 को दौरान सरकार को सौंप दी गयी।

1.8.4 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा भी निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी का प्रतिफल *परिशिष्ट 1.10* में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रुड़की में ₹ 1.92 करोड़ का निवेश, वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की, आर एफ सी, हल्द्वानी तथा आर एफ सी, देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2011-12 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात् शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

1.8.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। **तालिका 1.24** 31 मार्च 2014 को, बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्ति को दर्शाती है।

⁸ दून अस्पताल देहरादून में एम.आर.आई. मशीन का कार्यचालन एवं रखरखाव

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण की लागत की मात्रा	2011-12	2012-13	2013-14	
			ब आ	वास्तविक आँकड़े
प्रारम्भिक शेष	717.90	874.08	--	718.21
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	246.83	272.57	248.66	277.99
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	90.65	428.44	684.59	55.23
अंतिम शेष	874.08	718.21	--	940.97
निवल वृद्धि	(+) 156.18	(-) 155.87		222.76
ब्याज प्राप्ति	0.62	1.61		3.72
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्ति प्रतिशत के रूप में	0.07	0.22		0.40
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.49	8.18		7.15
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.42	7.96		6.75
अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			

स्रोत: वित्त लेखे व वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)

सरकार ने वर्ष 2012-13 के ₹ 273 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 278 करोड़ ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ पांच करोड़ अधिक थे। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 373 करोड़ की कमी दिखाई।

बकाया ऋणों एवं अग्रिम ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्ति ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि दर्शायी। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये गये बाजार ऋणों की औसत ब्याज दर 7.15 प्रतिशत थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों/सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर केवल 0.40 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2009-10 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष थी।

31 मार्च 2014 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 941 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि (₹ 661 करोड़), परिवहन (₹ 135 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 82 करोड़) क्षेत्र थे।

1.8.6 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.25 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका 1.25: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2013 को	31 मार्च 2014 को
सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 5.21	558.31
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
योग	(-) 5.21	558.31
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	875.15	799.50
योग (अ)	869.94	1,357.81
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 2.15	(-) 2.15
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम,	(-) 0.87	(-) 0.87
उद्दिष्ट निधियों का निवेश	1,078.62	1,078.62
योग (ब)	1,075.60	1,075.60
महायोग (अ) + (ब)	1,945.54	2,433.41

स्रोत: वित्त लेखे

अन्तिम रोकड़ शेष पिछले वर्ष (₹ 1,945.54 करोड़) की अपेक्षा चालू वर्ष (₹ 2,433.41 करोड़) के अन्त में ₹ 487.87 करोड़ बढ़ गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,078.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। यही राशि नैमित्तिक निधि से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित की गई तथा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 35.09 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष 2013-14 के दौरान रोकड़ शेष पर प्राप्त ब्याज 1.87 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधार राशियों पर 7.57 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया एवं यह वर्ष 2013-14 के दौरान अधिकतम दिनों के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 16 (साधारण और विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य को ₹ 0.09 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में मुख्य शीर्ष 'चैको और बिलों' के नीचे लघुशीर्ष 'कोषालय चैक' के अधीन ₹ 56.68 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था।

पर्याप्त रोकड़ शेष की सहज स्थिति ₹ 1,105 करोड़ के राजस्व आधिक्य एवं स रा घ उ के 2.16 प्रतिशत के निम्न राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखते हुए, खुले बाजार की उधारियों को ₹ 3,200 करोड़ के बजटीय लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 2,500 करोड़ तक सीमित किया जा सका।



1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्वों की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ब)** में 31 मार्च 2013 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.3**, **परिशिष्ट 1.4** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट 1.7 और 1.8** में प्रस्तुत की गई है।



वर्ष 2013-14 का ऋण- स रा घ उ अनुपात (23.50 प्रतिशत), पिछले वर्ष के अनुपात की तुलना में (23.68 प्रतिशत) 0.19 प्रतिशत सुधरा। यह अनुपात ते वि आ के उस वर्ष के लिए, निर्धारित मापदण्ड (38.50 प्रतिशत) से नीचे था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2009-10 के ₹ 18,748 करोड़ से 53.44 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 28,767 करोड़ हो गये थे। राज्य की देयताएँ जो वर्ष 2013-14 के अन्त में ₹ 28,767 करोड़ की थी, में मुख्य रूप से लोक ऋण (₹ 21,355 करोड़), लघु बचत एवं भविष्य निधि (₹ 5,043 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 2,369 करोड़) शामिल थे। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण तथा लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 2,573 करोड़ एवं ₹ 322 करोड़ तक बढ़ गये थे। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि विभिन्न वर्षों में बढ़ी; पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में यह 12.64 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष के दौरान स रा घ उ के सापेक्ष इन दायित्वों में उत्प्लावकता 0.94 थी, जो यह इंगित करती थी कि स रा घ उ में प्रत्येक प्रतिशत बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 0.94 प्रतिशत बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्ति का 1.66 गुना एवं अपने संसाधनों का 3.32 गुना थे। राज्य में प्रारम्भ से ही खुले बाजार ऋणों की भुगतान वापसी के लिए सिंकिंग फण्ड चलन में है (सितम्बर 2006 में पुनरीक्षित) और राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बकाया पड़े बाजार ऋणों के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना है। राज्य सरकार ने इस निधि में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई योगदान नहीं किया जो कि ₹ 127.70 करोड़ रहा।

1.9.3 आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

31 मार्च 2014 को आरक्षित निधियों में अन्तिम शेष के रूप में ₹ 1,224 करोड़ (जमा) थे। इसमें से बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों में ₹ 1,157 करोड़ (जमा) तथा ब्याज वाली आरक्षित निधियों में ₹ 67 करोड़ (जमा) थे। इसमें, संचालित होने वाले लेखों के मुख्य शीर्ष 8115-मूल्य ह्रास / नवीनीकरण आरक्षित निधि (₹ 0.01 करोड़) और 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ (₹ 67.41 करोड़) थे जिसके अन्तर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया। बिना ब्याज वाली (₹ 1,157 करोड़) (जमा), आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8222-सिंकिंग फण्ड (₹ 1,128 करोड़), 8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ (₹ चार करोड़) और 8235- सामान्य एवं आरक्षित निधियों (₹ 25 करोड़) का संचालन किया गया था।

समेकित सिंकिंग फंड: बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कुल बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण और राज्य सरकार के लोक लेखा दायित्वों) का बोझ कम करने के लिये राज्य सरकार ने सिंकिंग फंड 2006 के सृजन एवं प्रशासन के लिए एक पुनरीक्षित योजना बनाई। आर बी आई द्वारा मार्गदर्शन/निर्देशों के अधीन, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाये, निधियों का संचालन किया जाता है। सरकार द्वारा आर बी आई को इन निधियों पर अर्जित लाभांश के एक प्रतिशत का 1/8 प्रतिशत या परस्पर सहमति के आधार पर तय कमीशन के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2013-14 में राज्य की समेकित निधि से सिंकिंग फंड में कोई धनराशि विनियोजित नहीं की गयी, जो कि सिंकिंग फंड योजना के प्रावधानों के विरुद्ध है। परिणामस्वरूप राज्य का राजस्व अधिक्क्य ₹ 127.70 करोड़ की सीमा तक बढ़ा कर दर्शाया गया। 2013-14 के अन्त में इसमें कुल संचयन ₹ 1,128 करोड़ था। निधियों के कुल संचयन में से ₹ 1,054 करोड़ आर बी आई द्वारा निवेश किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ): ते वि आ की संस्तुतियों के आधार पर भूतपूर्व आपदा राहत कोष, को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। निधियों के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र, एवं विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे कि उत्तराखण्ड को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। वर्ष 2013-14 के आरंभ में इस निधि में ₹ 36.85 करोड़ शेष थे। वर्ष 2013-14 के दौरान राशि ₹ 465.71 करोड़ (एस डी आर एफ ₹ 136.21 करोड़ - केन्द्र अंश ₹ 122.59 करोड़, राज्य का अंश ₹ 13.62 करोड़ एवं एन डी आर एफ ₹ 329.50 करोड़) समेकित निधियों से एस डी आर एफ में विनियोजित किये गये। निधि में ₹ 67.41 करोड़ जमा शेष छोड़ते हुए ₹ 435.15 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। एस डी आर एफ में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में कुल प्राप्ति ₹ 149 करोड़ (वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के क्रमशः ₹ 26.35 करोड़, ₹ 122.59 करोड़ एवं ₹ 0.06 करोड़) तक थी।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के विवरण संख्या 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका 1.26 में दी गई है:

तालिका 1.26: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2011-12	2012-13	2013-14
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,739	1,570	1,475
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूति की अधिकतम राशि का प्रतिशत	12.70	9.97	8.52

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2014 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹1,475 करोड़ थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र (₹902 करोड़), सहकारिताओं (₹550 करोड़) और आवास एवं शहरी विकास (₹16 करोड़) शामिल थे। वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आव्हानित नहीं की गई।

सरकार ने ₹25 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उत्थित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति विमोचन निधि' गठित किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान उक्त निधि से न तो कोई धनराशि निकाली गई तथा न ही विनियोजित की गई।


1.10 ऋण प्रबंधन

(i) ऋण रूपरेखा

राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋणों) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 1.27 एवं चार्ट 1.9 में दी गई है।

तालिका 1.27: लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (₹ करोड़ में)

परिपक्वता रूपरेखा	राशि	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	650	3.041
1-3 वर्ष	2,298	10.763
3-5 वर्ष	2,693	12.609
5-7 वर्ष	2,563	12.001
7 वर्ष से अधिक	11,235	52.612
अन्य (राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी)	1,916	8.974
योग	21,355	100



स्रोत: वित्त लेख

वचनबद्ध व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा चूंकि विगत पाँच वर्षों में राजकोषीय कमी थी। 31 मार्च 2014 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा दर्शाती है कि 52.61 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता में था।

(ii) ऋण वहन क्षमता

राज्य सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड, ऋण स्थिरीकरण, ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतानों के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण वहन क्षमता का आकलन करता है। तालिका 1.28 वर्ष 2011-12 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण वहन क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.28: ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक ⁹	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थायित्करण ¹⁰ (मानात्मक विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+) 1,811	(+) 2,164	(+) 1,112
ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) ¹¹	(+) 86	(+) 157	(-) 1,050
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता ¹²	308	5	1,301
ब्याज/भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/रा प्रा अनुपात)	12.92	13.27	11.87

तालिका 1.28 की प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा न केवल धनात्मक था बल्कि उसने निम्नोमुखी प्रवृत्ति भी दर्शायी। वर्ष 2013-14 के अन्त में यह ₹ 1,112 करोड़ पर था। ऋण- स रा घ उ अनुपात जो वर्ष 2011-12 में 24.13 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान 23.50 प्रतिशत तक गिरावट आयी। उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में, ऋण- स रा घ उ अनुपात 23.50 प्रतिशत पर था, जो ते वि आ द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित लक्ष्य (38.50 प्रतिशत) से अत्यधिक नीचे था।

ऋण स्थायित्व और इसकी वहन क्षमता का दूसरा सूचक, बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता को है। ऋण-वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति¹³, बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा कर सकती। धनात्मक संसाधन अंतराल राज्य के ऋणों को संभालने की क्षमता को मजबूत करता है। तालिका 1.28 वर्ष 2011-14 की अवधि हेतु परिभाषित संसाधन अंतराल को इंगित करती है।

राज्य ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 में धनात्मक संसाधन अंतराल का अनुभव किया, जो बदले में 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे ले आया तथा राज्य ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 716 करोड़ और ₹ 1,787 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। चालू वर्ष (2013-14) के

⁹ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

¹⁰ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

¹¹ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

¹² परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

¹³ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

दौरान, संसाधन अंतराल ऋणात्मक हो गया (- ₹ 1050 करोड़) राजस्व आधिक्य ₹ 682 करोड़ कम होकर ₹ 1,105 करोड़ रह गया। वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 1,757 करोड़) तर्क संगत सीमा तक नीचे लाया गया था, जो वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1,600 करोड़ (स रा घ उ का 1.48 प्रतिशत) तक और नीचे आ गया पर वर्ष 2013-14 के दौरान यह बढ़कर ₹ 2,650 करोड़ (2.16 प्रतिशत स.रा.घ.उ.) हो गया।

ऋण शोधन वर्ष 2008-10 के दौरान उच्चतर स्तर पर रहा था तथा वर्ष 2010-11 में थोड़ा सुधरा (0.83) जिससे यह इंगित होता है कि इस अवधि के दौरान पुरानी ऋण देयताओं को समाप्त करने के लिए ऋण निधियों का बढ़-चढ़ कर प्रयोग किया जा रहा है (परिशिष्ट 1.3)। तथापि, वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान इसने उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई पर वर्ष 2013-14 में घटकर 0.82 हो गया। इसलिए 2012-13 वर्ष के दौरान मूलधन एवं ब्याज को लौटाने के पश्चात उधारी निधियों से, निधियों के पूँजीकरण/उत्पादक व्यय हेतु कोई निधि बाकी नहीं थी।

1.10.1 बाजार ऋण

बाजार ऋण की स्थिति

तालिका 1.29, 2009-14 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.29 : राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-)	
					धनराशि	प्रतिशत
2009-10	5,885.10	600.00	139.54	6,345.57	460.62	7.82
2010-11	6,345.53	991.52	102.00	7,235.05	889.52	14.02
2011-12	7,235.05	1,400.00	240.73	8,394.32	1,159.27	16.02
2012-13	8,394.32	1,750.00	949.87	9,194.45	800.13	9.53
2013-14	9,194.45	2,500.00	763.89	10,930.56	1,736.11	18.88
योग		7,241.52	2,196.03			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 7,241.52 करोड़ एवं ₹ 2,196.03 करोड़ क्रमशः ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। 2009-14 के दौरान पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 7,241.52 करोड़) का 30.33 प्रतिशत था। इन ऋणों पर भुगतानित ब्याज 2009-10 में 7.64 प्रतिशत से 2013-14 में 7.57 प्रतिशत की औसत दर से वर्ष 2009-10 में ₹ 459 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 715 करोड़ हो गया। पुनर्भुगतान की धीमी गति आगामी वर्षों में ऋणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ाएगी। सरकार पर मौजूदा बाजार ऋण का दवाब भी विचारणीय होगा। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2009-10 से आगे बाजार ऋणों में बढ़ाने की प्रवृत्ति थी। 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राप्तियों ने लगभग चार गुनी वृद्धि दर्शाई। यह राज्य सरकार की बाजार ऋण पर निरंतर निर्भरता को दर्शाती है।

एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 की धारा 4 (द) अनुबंधित करती है कि ऋणों का उपयोग चालू व्ययों के वित्तपोषण में न होकर स्व-पालनीय विकास क्रियाकलापों तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन या वृद्धि में होना चाहिए। सरकार को ऋण के प्रत्येक अंश हेतु यह उद्देश्य सूचित करना है कि प्राप्त ऋण का विकास

योजनाओं विशेषतया उनमें जो ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन और उद्योगों और उनमें भी जो राज्य के विशेषकर कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करती है, करना है। सरकार ने उक्त उद्देश्यों हेतु बाजार ऋणों को उठाया जो तालिका 1.30 में दिया गया है:

तालिका 1.30: वर्ष 2009-14 के दौरान सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण और पुनर्भुगतान का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋणों की धनराशि				
	लिया गया	पुनर्भुगतान के उद्देश्य हेतु		पूँजीगत व्यय के उद्देश्य हेतु	
		धनराशि	प्रतिशत	धनराशि	प्रतिशत
2009-10	600.00	139.53	23.26	460.47	76.74
2010-11	991.52	102.00	10.29	889.52	89.71
2011-12	1,400.00	240.73	17.20	1,159.27	82.80
2012-13	1,750.00	950.00	54.29	800.00	45.71
2013-14	2,500.00	764.00	30.56	1,736.00	69.44


उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकार ने नए ऋणों (2009-10 से 2013-14) के औसतन 27 प्रतिशत का उपयोग परिपक्व बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु किया जबकि औसतन 73 प्रतिशत पूँजीगत व्यय हेतु संदर्भित वर्षों में प्रयोग किया गया। नए ऋणों से परिपक्व बाजार ऋणों का भुगतान इन ऋणों के उद्देश्यों को असफल करने के अतिरिक्त एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्ति और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। पुनः किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियाँ, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन को भी प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.10 एवं 1.11, 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।





राज्य ने 2009-10 में राजस्व घाटे का अनुभव किया जो मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के कारण था। तथापि राज्य वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने में और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का आधिक्य प्राप्त करने में कामयाब रहा जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 1,787 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में भी राज्य राजस्व आधिक्य बनाए रखने में सफल रहा जो कि वर्ष 2013-14 में ₹ 1,105 करोड़ रहा। तथापि यह पूर्ण वर्ष के सापेक्ष ₹ 682 करोड़ कम था।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 में कम किया गया और एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित स रा घ उ के चार प्रतिशत लक्ष्य से नीचे 2.19 प्रतिशत था। सरकार के द्वारा राजकोषीय समेकन के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ही 2011-12 और 2012-13 में भी राजकोषीय घाटे में कमी हुई। तथापि, वर्ष 2013-14 को दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 1,050 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,650 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा (₹ 2,650 करोड़), स रा घ उ के 2.16 प्रतिशत पर वर्तमान रूप में टिका है और इस संदर्भ में ते वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य तीन प्रतिशत के अन्तर्गत ही है।

प्राथमिक घाटे ने 2009-10 (₹ 1,445 करोड़) में मात्रात्मक उछाल लिया था और वर्ष 2010-11 में नीचे (₹ 363 करोड़) आ गया और वर्ष 2011-12 में धनात्मक हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान भी यह धनात्मक दिशा में रहा परन्तु वर्ष 2013-14 में यह ऋणात्मक में परिवर्तित हो गया तथा चालू वर्ष के अन्त में ₹ 594 करोड़ रहा।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका 1.31 में परिलक्षित है।

तालिका 1.31: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटे का विघटन						
1	राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(-)1,171	(-)13	(+)716	(+)1,787	(+)1,105
2	पूँजीगत व्यय	(-)1,647	(-)1,855	(-)2,317	(-)3,542	(-)3,532
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(+)35	(+)25	(-)156	(+)155	(-)223
राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति						
1	बाजार ऋण	460	890	1,159	800	1,736
2	भारत सरकार से ऋण	(-)5	16	20	6	(-)16
3	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	672	921	332	505	545
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	70	182	131	215	291
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,066	870	626	271	322
6	जमा एवं अग्रिम	229	46	33	219	352
7	उचन्त एवं विविध	722	(-)331	(-)412	479	(-)223
8	प्रेषण	(-)129	(-)303	(-)466	(-)101	317
9	अन्य	(-)6	242	190	66	(-)186
10	कुल आधिक्य/घाटा(नकद शेष)	(-)296	(-)690	144	(-)860	(-)488
11	सकल राजकोषीय घाटा	2,783	1,843	1,757	1,600	2,650

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, 2013-14

राजकोषीय घाटा (₹ 2,650 करोड़) बड़ी मात्रा में बाजार की उधारियों (₹ 1,736 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 545 करोड़) से प्रबन्धित किया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई, राजकोषीय घाटे को तर्कसंगत सीमा अर्थात् स रा घ उ के तीन प्रतिशत तक (ते वि आ की सिफारिशों के अनुसार) चालू वर्ष के दौरान नीचे लाया गया (स रा घ उ का 2.16 प्रतिशत)।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटा एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.32) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संगठकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति* ^१	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	9,551	9,319	1,647	30	10,996	(+)232	(-)1,445
2010-11	11,693	10,141	1,855	60	12,056	(+)1,552	(-)363
2011-12	13,782	11,206	2,317	247	13,770	(+)2,576	(+)12
2012-13	16,175	11,871	3,542	273	15,686	(+)4,304	(+)489
2013-14	17,556	14,160	3,712	278	18,150	(+)3,396	(-)594

* लोक ऋण प्राप्ति से इतर प्राप्ति अर्थात् ऐसी प्राप्ति जिन्हें वापस नहीं किया जाता है

- ऋणोत्तर प्राप्ति 2009-10 से 2013-14 तक 83.81 प्रतिशत बढ़ी और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। तथापि, अन्तर जो ₹ 862 करोड़ (2009-10) से ₹ 2,393 करोड़ (2012-13) के मध्य रहा, वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य निरन्तर उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाता रहा
- कुल प्राथमिक व्यय में 2009-10 की तुलना में 2013-14 के दौरान ₹ 7,154 करोड़ (65.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 4,841 करोड़ (51.95 प्रतिशत) की सीमा तक प्राथमिक राजस्व व्यय की वृद्धि के कारण थी।
- प्राथमिक राजस्व आधिक्य, जिसने 2009-10 में तीव्र उतार दर्शाया, पुनः 2010-11 से 2012-13 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई। तथापि, इसने चालू वर्ष (2013-14) में तीव्र उतार दर्शाया एवं पूर्व वर्ष के सापेक्ष, ₹ 908 करोड़ (21.10 प्रतिशत) घटकर ₹ 3,396 करोड़ रहा।
- वर्ष 2011-12 के दौरान, प्राथमिक घाटा, ऋणोत्तर प्राप्ति में वृद्धि होने के कारण प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हुआ और धनात्मक बना रहा तथा वर्ष 2012-13 के अंत में बढ़कर ₹ 489 करोड़ हो गया, परन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राथमिक व्यय में वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया तथा वर्षान्त में ₹ 594 करोड़ रहा।

1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर किसी भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति (सितम्बर 2014) द्वारा चर्चा नहीं की गई। तदुसार, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.13 निष्कर्ष

चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में ₹ 1,573 करोड़ (9.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः संघ के करों व शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 301 करोड़), राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 941 करोड़) और भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान (₹ 618 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण थी। तथापि, चालू वर्ष में करेतर राजस्व ₹ 286 करोड़ घट गया। राज्य की व्यय पद्धति दर्शाती है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में बढ़ा तथा करीब 80.25 प्रतिशत रहा। आयोजनेतर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) में विगत वर्ष की तुलना में 16.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन पर व्यय 47.82 प्रतिशत था और एन पी आर ई के एक बड़े अंश को खपत करने की निरंतरता बनाए रहा। वर्ष 2013-14 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 2,131 करोड़ था जो राजस्व

प्राप्तियों का 12.30 प्रतिशत था। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान, ते वि आ द्वारा मानकीय निर्धारण (₹ 1,462 करोड़) से अधिक (₹ 669 करोड़) था (ते वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)।

गत वर्ष की तुलना में 2013-14 में राज्य के पूँजीगत व्यय में ₹ 170 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्यतः (i) सामाजिक सेवाओं और (ii) आर्थिक सेवाओं में वृद्धि के कारण थी। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वर्ष 2009-10 में 13 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 में 18 प्रतिशत था। चालू वर्ष में इसने पिछले वर्ष के सापेक्ष मामूली वृद्धि (4.80 प्रतिशत) दर्शाई लेकिन राज्य सरकार के अपने ब आ (₹ 4,874 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 5,266 करोड़) में निर्धारित लक्ष्य से नीचे (₹ 3,712 करोड़) रहा।

समग्र विकासपरक व्यय वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 61 प्रतिशत बढ़ गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में सरकार के निवेश पर पिछले पांच वर्षों में औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था जबकि सरकार ने वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान अपने ऋणों पर औसतन 7.78 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान किया।

राज्य वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब हो पाया था और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 1,787 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में भी राज्य ने राजस्व आधिक्य (₹ 1,105 करोड़) पर बनाए रखा यद्यपि यह पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 682 करोड़ घट गया।

राजकोषीय घाटा को जो कि 2009-10 के दौरान उच्च स्तर पर, स रा घ उ का 3.93 प्रतिशत था, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में 3.5 प्रतिशत की तर्कसंगत सीमा से नीचे लाया गया। 2013-14 के दौरान ₹ 2,650 करोड़ का राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 2.16 प्रतिशत था।

वर्ष 2013-14 के अंत में राज्य के रोकड़ शेष में ₹ 488 करोड़ की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक में नकद शेषों के निवेश व भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर प्राप्त ब्याज नगण्य (1.87 प्रतिशत) था, जबकि सरकार ने 7.57 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया।

2013-14 में ऋण - स रा घ उ अनुपात, ते वि आ द्वारा निर्धारित मानक 38.50 प्रतिशत से काफी नीचे, 23.50 प्रतिशत पर था। राज्य ने वर्ष 2011-12 में प्राथमिक आधिक्य की स्थिति प्राप्त कर ली थी जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में पर्याप्त रूप से बढ़ी (₹ 489 करोड़), परन्तु वर्ष 2013-14 में ₹ 594 करोड़ का प्राथमिक घाटा हुआ। 31 मार्च 2014 को लोक ऋण ₹ 21,355 करोड़ है और ऋणों का 53 प्रतिशत सात वर्षों और अधिक की परिपक्वता अवधि में है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 1,903 करोड़ की एक बड़ी धनराशि सीधे राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तर्गत की गयी। तथापि, इन निधियों को राज्य बजट/राजकोष पद्धति के माध्यम से नहीं दिया गया। जैसे कि यह निधियाँ राज्य बजट के बाहर रहती हैं, इनके उपयोग का अनुश्रवण करने के लिये एक भी अभिकरण नहीं है और तत्काल रूप से उपलब्ध कोई ऐसे आँकड़े नहीं हैं ताकि किसी विशेष वर्ष में प्रमुख चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में वास्तव में कितना व्यय हुआ है आँका जाए।

1.14 संस्तुतियाँ

सरकार विचार कर सकती है कि:

- (i) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समस्त अनुदानों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने एवं परिकल्पित समय सीमा के भीतर उनके बेहतर उपयोग करने हेतु प्रभावशाली चरण/उपाय बनाए जाने के लिए;
- (ii) समस्त लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं को तत्परता से पूरा करने के लिए प्रभावशाली कार्ययोजना तैयार किए जाने के लिए ताकि लोग समय पर परिकल्पित लाभ प्राप्त करें; और
- (iii) सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये निवेशों से कम प्रतिफल प्राप्त होने के कारणों की समीक्षा करने तथा निवेशों से अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए।